राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(41)/ग्रुप–5/RDD/जीकेएन/ 2015–16 जयपुर, दिनांक 10 मार्च 2015

::बैठक कार्यवाही विवरण::

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओ के निर्माण कार्य एवं आवासो के तृतीय पक्ष निरीक्षण हेतु 28 व्यक्ति/संस्था/अभियंता को विभाग द्वारा 5 नवम्बर 2015 को पंजीकृत किया गया। तृतीय पक्ष संस्थाओं को क्षेत्रिय कार्य के दौरान आयी समस्याये व सूझाव आदि के सम्बंध में दिनांक 03.03.2016 को श्रीमान शासन सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसका बिन्दुवार कार्यवाही विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. जॉच/निरीक्षण में आवश्यक तकनीकी दस्तावेज सम्बधित ब्लॉक/जिला स्तर से उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
2. आवासो में किश्तो के भुगतान का सत्यापन लाभार्थी के मौखिक बयानो के आधार पर किया जावें, यथा सम्भव बैंक पासबुक से सत्यापित किया जावें। किश्तों में विलम्ब के कारणों का भी पता किया जावें।
3. आवासो के भौतिक सत्यापन दिवस की आवास के स्तर की फोटो आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जावें।
4. तृतीय पक्ष निरीक्षण हेतु पंजीकृत संस्थाओं के भुगतान हेतु कमेटी का गठन कर वित विभाग द्वारा जारी परिपत्र के निर्देशानुसार वाहन हेतु भुगतान की प्रकिया निर्धारित करने एवं शीघ्र भुगतान हेतु निर्देशित किया गया।
5. संस्थाओ को जॉच/निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में कार्यो के सम्बंध में अनूचित दबाव देने पर सम्बंधित ब्लॉक/जिला स्तर पर प्रशासन को अवगत कराया जावें।
6. संस्थाओ द्वारा जॉच व निरीक्षण में गत 1–2 वर्ष के पूर्ण कार्य/प्रगतिरत कार्यों को ही किये जाने की प्राथमिकता दी जावें।
7. संस्थाओ द्वारा निरीक्षण व जॉच उपरान्त रिपोर्ट का एक प्रतिवेदन सीधे ही जिला परिषद को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।
8. तृतीय पक्ष संस्थाओं को यथासम्भव उनकी कार्यक्षमता के अनुसार सभी योजना प्रभारी अपने स्तर से योजनान्तर्गत कार्यों के तृतीय पक्ष निरीक्षण के कार्य आवंटित किये जावें।

(के. के. शर्मा) 10/3/16
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव,शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गॉधी नरेगा।
6. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग।
7. अधिक्षण अभियन्ता ईजीएस/एसएपी/अभियान्त्रिकी ग्रामीण विकास विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
9. पंजीकृत तृतीय पक्ष निरीक्षण कर्ता/एजेन्सी/अभियंता/स्वय सेवी संस्था।
10. सहायक प्रोगामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)